न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी जिला नागौर
बईजलास श्री गौरीशंकर शर्मा आर.ए.एस
मुकदमा संख्या 273/2017

वादी :–
1–बरकत स्या पुत्र श्री असकर स्या जाति सांई मुसलमान
निवासी रियांबड़ी तहसील रियांबड़ी जिला नागौर

प्रतिवादीगण :–
1–तहसीलदार रियांबाड़ी
2–पटवारी हल्का जाटावास
3–जमीला बानो पुत्री असकर स्या
4–जुबेदा बानों पुत्री असकर स्या
5–रूकया बानों पुत्री असकर स्या
जाति सांई मुसलमान निवासीगण रियांबड़ी तहसील रियांबड़ी जिला नागौर
6:जेतुन पुत्री लादू स्या जाति सांई मुसलमान निवासी रियांबड़ी

दावा बाबत घोषणा खातेदारी,रेकर्ड दुरूस्ती अंतर्गत धारा 88, आरटीएक्ट

निर्णय

दिनांक :– 9/11/22

वादी की ओर से निम्न दावा पेश है :–

1–यह है कि वादी एंव प्रतिवादी संख्या 3 से 5 एक ही परिवार के सदस्य है जो सभी दीना स्या के वंशज है।

2–यह है कि वाके मौजा रियांबड़ी के वर्तमान ग्राम खेड़ाधूणा में वादी के दादा लादुस्या की खातेदारी की जमीन खसरा नंबर 201 रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा आई हुई है। जो संवत् 2015 से 2018 में लादु पुत्र.....कोम सांई दर्ज कर दिया गया एव पिता का नाम दीना स्या दर्ज नहीं किया,जबकि खसरा नंबर 363 रकबा 92 बीघा 14 बिस्वा में लादु पुत्र दीना सांई दर्ज किया हुआ है परंतु राजस्व कर्मचारीयों की भूल से आज दिन तक उक्त प्रविष्टि लगातार वर्तमान सेटलमेंट में उक्त पुराने खसरा नंबर 201 के नये खसरा नंबर 283 रकबा 1.12 हैक्टर में भी बतौर लादू वल्द.....कौम सिपाही दर्ज कर दियाा। जिसमें सिपाही की जगह सांई दर्ज करना लाजमी है। परंतु सेटलमेंट की गलती की से सिपाही दर्ज कर दिया है। जबकि लादू स्या का देहान्त हो गया है एंव उसके पुत्र असकर स्या व उसकी पत्नि साबरा का भी देहान्त हो चूका है एंव उनके बतौर वंशज पुत्र वादी बरकत अली व पुत्रियां प्रतिवादी संख्या 3 से 5 मौजूद है। जिनके नाम उक्त खसरान का खतेदारी में इन्द्राज होना है, अभी तक इन्द्राज नहीं हो सका। जिससे वादी उक्त ाद बाबत रेकर्ड दुरूस्ती व खातेदारी घोषणा का पेश है।

3–यह है कि वादी स्व.दीना स्या का वंशज है जो निम्न वंशावली से साबित है। दीना स्या (फोत) पुत्र लादू स्या (फोत) असकर स्या (फोत) उनके बरकत अली पुत्र,साबरा पत्नि(फोत) जमीला,जुबेदा,रूकया पुत्रियां है।

4–यह है कि पूर्व खसरा नंबर 201 रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा वाके मौजा रियांबड़ी वर्तमान ग्राम खेड़ाधूणा के खसरा नंबर 283 रकबा 1.12 हैक्टर जिसमें लादू वल्द.....सिपाही दर्ज है। जबकि प्रथम सेटलमेंट के वक्त से ही लादू पुत्र दीना सांई दर्ज है। परंतु खसरा नंबर 201 रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा में संवत् 2015–2018 में लादू पुत्र....कोम सांई दर्ज है। पिता का नाम दर्ज नहीं होने से वर्तमान सेटलमेंट में भी नये खसरा नंबर 283 रकबा 1.12 हैक्टर वाके मौजा खेड़ाधूणा वाला में लादू वल्द.....कौम सिपाही कर दिया गया। जबकि सिपाही की जगह सांई दर्ज करना चाहिऐ था व लादू फौत हो गया है। एंव उसका पुत्र व पुत्रवधू असकर स्या व साबरा का भी निधन हो गया है। एंव वर्तमान में उनके उतराधिकारी वादी एंव प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 है,जिन्हे पक्षकार बनाया गया है और उक्त खसरा में लादू वल्द.....कौम सिपाही की जगह लादू वल्द दीना स्या कौम सांई दर्ज करते हुए फौतगी म्यूटेशन के बतौर वादी व प्रतिवादी संख्या 3 से 5

उपखण्ड अधिकारी
रियांबड़ी जिला-नागौर

को खातेदारी घोषित करते हुए राजस्व रेकार्ड में दुरूस्त फरमाया जावें। जिसमें उक्त खसरान की बीगौड़ी की रसीद,मृत्यु प्रमाण पत्र एंव खसरान मिलान व खतौनी नकल संवत 2015–2018 की पेश है।

5–यह है कि वादी की प्रार्थना है कि वादी का दावा बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्नलिखित तरीके से सादिर फरमाई जावे कि :–

ए– –यह है कि पूर्व खसरा नंबर 201 रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा वाके मौजा रियांबड़ी वर्तमान ग्राम खेड़ाधूणा के खसरा नंबर 283 रकबा 1.12 हैक्टर जिसमें लादू वल्द.....सिपाही दर्ज है। जबकि प्रथम सेटलमेंट के वक्त से ही लादू पुत्र दीना सांई दर्ज है। परंतु खसरा नंबर 201 रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा में संवत् 2015–2018 में लादू पुत्र....कोम सांई दर्ज है। पिता का नाम दर्ज नहीं होने से वर्तमान सेटलमेंट में भी नये खसरा नंबर 283 रकबा 1.12 हैक्टर वाके मौजा खेड़ाधूणा वाला में लादू वल्द.......कौम सिपाही कर दिया गया। जबकि सिपाही की जगह सांई दर्ज करना चाहिऐ था व लादू फौत हो गया है। एंव उसका पुत्र व पुत्रवधू असकर स्या व साबरा का भी निधन हो गया है। एंव वर्तमान में उनके उतराधिकारी वादी एंव प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 है,जिन्हे पक्षकार बनाया गया है और उक्त खसरा में लादू वल्द..........कौम सिपाही की जगह लादू वल्द दीना स्या कौम सांई दर्ज करते हुए फौतगी म्यूटेशन के बतौर वादी व प्रतिवादी संख्या 3 से 5 को खातेदारी घोषित करते हुए राजस्व रेकार्ड में दुरूस्त फरमाया जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जबाब हेतू जरिए सम्मन तलब किया गया। दिनांक 5.6.2018 को राजस्व लोक अदालत 18 में पेश हुई तथा प्रतिवादी संख्या 3 से 5 ने उपस्थित होकर अपना राजीनामा पेश किया गया। जो बाद पहचान के राजीनामा तस्दीक किया गया। तहसीलदार से वस्तुस्थिति की रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार से दिनांक 29.9.2022 को रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार ने अपनी जांच में बताया गया कि खेड़ाधूणा के मिसल बदोबस्त संवत् 2008–2027 के अनुसार खसरा नंबर 201 रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा आयी हुई है। जिसमें संवत् 2015–2018 में लादु पुत्र.........कौम सांई दर्ज है। परंतु पिता का नाम दर्ज नहीं है। भू प्रबंध विभाग ने खसरा नंबर 201 रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा के नये खसरा नंबर 283 रकबा 1.12 हैक्टर कायम किये गये। खातेदार के स्थान पर वादी के दादा लादु पुत्र........कोम सिपाही दर्ज किया हुआ है। ग्राम रियांबड़ी में मौजीत व्यक्तियों के पूछताछ करने पर बताया गया कि लादू के पिता का दीना था। राजस्व रेकर्ड में भूल से दर्ज नहीं है। इनकी जाति सांई है। रेकर्ड में भूल वश सिपाही दर्ज कर दिया गया। लादूस्या की मृत्यु 30.10. 1997 को हो चूका है। जिनके निम्न वारिसान होना बताया गया।

लादू पुत्र दीनस्या (फौत)

असकरस्या (फौत) (पुत्र)(फौत) | जेतुन बानो (पुत्री) | रहीमा बानो (पत्नि) (फौत) | हुरमत बानो(फौत) (पुत्री)

असकरस्या (फौत) के वारिसान: साबरा (पत्नि)(फौत) | बरकत स्या (पुत्र) | जमीलबानो (पुत्री) | जुबेदा बानो (पुत्री) | रूकेया बानो (पुत्री)

हुरमत बानो के वारिसान: अहसान (पुत्र) | खुर्शीद (पुत्र) | कालुस्या (पुत्र)

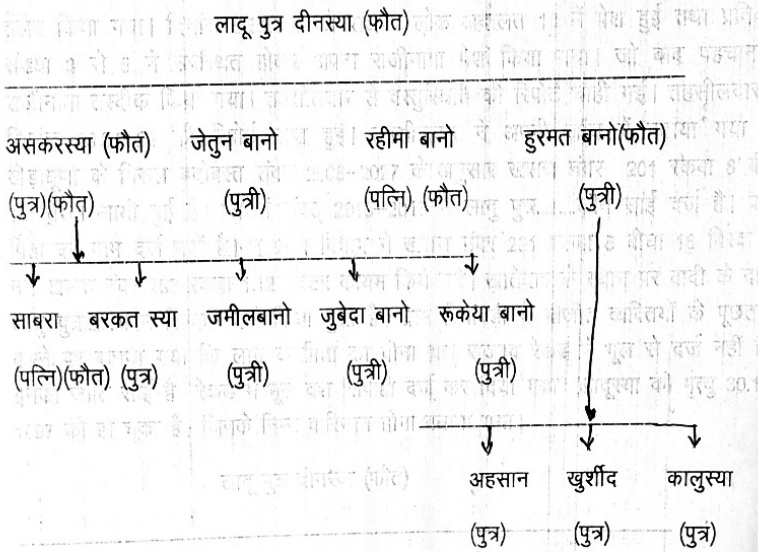

लादूस्या की पुत्री जेतुन बानो को वाद में पक्षकार नही बनाने पर प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का पेश कर पक्षकार बनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
...डी जिला-नागौर

विद्वान वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली पर मौजूद राजस्व रेकार्ड व तहसीलदार रियांबड़ी की जांच रिपोर्ट एंव पक्षकारान के बीच राजीनामा का अवलोकन किया गया। समस्त विवेचन से विदित होता है कि जागीर रिज्यूम के समय से ही वादी के दादा लादू के पिता का नाम.....दर्ज है। तथा भू प्रबंध विभाग द्वारा भी नवीन खसरा नंबर कायम करते वक्त वादी के दादा लादु पुत्र.....कोम सिपाही दर्ज किया गया है। जागीर रिज्यूम के समय से आज तक किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है। अब वादी को खातेदारी की घोषणा का अनुतोष नहीं दिया जा सकता है। ग्राम पंचायत रियांबड़ी ने केवल असकर स्या के सिजरा खानदार का प्रमाण दिया गया है। इसलिए वादी ने ऐसा कोई विधिक सजरा खानदान का साक्ष्य पेश नहीं किया जिसे यह साबित हो सकें की लादू के अमूक वारिसान है।

अतः वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार रियांबड़ी को प्रतिप्रेषित किया जाता है। तथा निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135 (2) में दर्ज कर लादू पुत्र.....के विधिक वारिसान के संबंध में पूर्ण रूप से जांच कर विधिक साक्ष्य लिये जाकर पक्षकारान की सुनवाई करके नामान्तकरण दर्ज करने की नियमानुसार कार्यवाही की जावें। तहसीलदार रियांबड़ी को वाद की प्रति साथ तहरीर जारी हो।

(गौरीशंकर शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
रियांबड़ी जिला-नागोर

निर्णय आज दिनांक 07/11/22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गौरीशंकर शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
रियांबड़ी जिला-नागोर